
PUBLICATIONS

छात्रों में तनाव के मनोवैज्ञानिक आधार

कु० गीता देवी

शोध छात्रा, मनोविज्ञान विभाग

मनुष्य को अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति मिलकर रहने में होती है। किसी भी विद्यालय में अनेक समूह पाये जाते हैं, जिनका निर्माण वर्ग, धर्म, जाति, निवास-स्थान, व्यवस्था तथा सम्प्रदाय के आधार पर होता है। जब तक किसी विद्यालय के विभिन्न समूहों में प्रेम, मैत्री और सहयोग की भावनायें होती हैं, तब तक वह समूह संगठित इकाई के रूप में उभरति करता रहता है, वैमनस्य की स्थिति में उनमें तनाव उत्पन्न होते हैं जो मिलकर न रहने का परिणाम है। किसी भी विद्यालय के विभिन्न समूहों में तनाव की मात्रा उस समूह में व्याप्त संरचनात्मक रुढ़िवादिता तथा उसकी शक्ति पर निर्भर करती है। यदि समूह रुढ़िवादी है तो इसके सदस्यों में स्ववर्गीय वरीयता, आत्मकेन्द्रित तथा वर्गकेन्द्रित धारणाएँ अधिक होती हैं। ऐसे समूहों में अन्य समूहों के प्रति निषेधात्मक प्रवृत्तियाँ, शृणा तथा आक्रामक प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है।

हम सभी लोग उत्तेजना की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। आयु वृद्धि के साथ-साथ जटिल उत्तेजनाओं का व्यक्ति के शरीर पर दबावात्मक प्रभाव पड़ता है। उत्तेजना की जटिलता दबाव की मात्रा बढ़ा देती है, उससे तनाव की अनुभूति होती है। इसमें संदेह नहीं है कि उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन के लिए शरीर में तनाव को निम्नित माना जाना आव-

श्यक होती है। मनुष्य में बाह्य वातावरण से परे स्वतन्त्र रूप से तनाव को उत्पन्न करने और बनाये रखने की क्षमता होती है। आयु के साथ-साथ तनाव भी बढ़ता है। संतुलित तनाव—मनुष्य को क्रियाशील बनाने के लिये आवश्यक है।

छात्रों में तनाव के कारण—

छात्रों में तनाव दो कारणों—'मनोवैज्ञानिक और वातावरण' से होता है। मनोवैज्ञानिक कारणों में पूर्वाग्रह, और वातावरणीय कारणों में वातावरण प्रधान होता है।

१- तनाव के मनोवैज्ञानिक कारण—

पूर्वाग्रह—पूर्वाग्रह हमारे द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान, वर्ग, समूह के अनुकूल या प्रतिकूल, पहले से बनाई हुई धारणा को कहते हैं। चाहे हमें उस वस्तु, व्यक्ति, वर्ग की सच्चाई जानने का प्रयास किया हो या नहीं। हम कुछ कारणों से उनके बारे में पहले से एक धारणा बना लेते हैं। हमारे विचार या पूर्वधारणा कोई तार्किक धारणा नहीं होतीं, हम यह सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारा विचार सही है या नहीं, बस हम उसे धारण कर लेते हैं। यही पूर्वधारणा है। इस प्रकार की धारणाओं से जो युक्त होना किसी की भी एक कमजोरी है। छात्रों की यह कमजोरी ही उनकी तनाव उत्पन्न कर देती है।

पूर्वाग्रह का निर्माण और विकास--

पूर्वाग्रह की एक विशेषता यह है कि वे अर्जित होते हैं। इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद ही व्यक्ति उन्हें प्राप्त करता है। जैसे-जैसे व्यक्ति बढ़ता है, उनका निर्माण होता है। पूर्वाग्रहों के विकास की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार की प्रक्रियाओं के आधार पर की जा सकती है--

(१) **अभ्यनुकूलन**--यह सिद्धान्त पूर्वाग्रहों के सीखने पर भी लागू होता है। गार्डनर मर्फी ने बताया कि छात्र जब शुरू में कुछ अन्य छात्रों से विशेष प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, तो उन छात्रों से सामान्यीकरण कर लेता है और उसे जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं या व्यक्तियों पर घटाने लगता है। अभ्यनुकूलन से उत्पन्न पूर्वाग्रह सरल होते हैं और आशानी से दूर किये जा सकते हैं।

(२) **व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्पर्क**--प्रारम्भ में बालक अनुकरणशील होने के कारण परिवार वालों से और अन्त में सम्पर्क में आने वाले समाज से पूर्वाग्रह ग्रहण करता है जो तनाव का कारण बनते हैं।

(३) **तादात्म्य आत्मीकरण और अन्तः-क्षेपण**--बालक परिवार के अनुसार ढलता है। परिवार के रहन-सहन, वेश-भूषण, धर्म, विचारधाराएँ आदि सभी वह धीरे-धीरे अपना लेता है। विद्यालय और समाजों भी अपने वर्ग विशेष की संस्कृति अंगीकृत करता है। विभिन्न संस्कृतिक समूहों से उनकी धर्मन्यता स्वाभाविक है और यही उसे पूर्वाग्रह बना देती है।

(४) **सामाजिक दूरी**--कम सामाजिक दूरी वाले छात्रों में प्रेम, एकता एवं अधिक सामाजिक दूरी वाले छात्रों में परस्पर प्रतिस्पर्धा पूर्वाग्रह बनते हैं।

पूर्वाग्रह दूर करने के उपाय--पूर्वाग्रहों के द्वारा छात्रों में उत्पन्न तनावों को दूर करने के लिये विद्यार्थियों स्तर पर प्रयास करना चाहिये। पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिये विद्यार्थियों में आर्थिक विपन्नता का निवारण, उच्चस्तरीय शिक्षा के प्रचार-प्रसार द्वारा

दुराग्रहों की भीषणता का ज्ञान कराते रहना, छात्र के व्यक्तित्व का संतुलित विकास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा भावात्मक एकता का विकास किया जा सकता है।

२- तनाव के वातावरणीय कारण--

तनाव को उत्पन्न करने एवं बढ़ाने में निम्नलिखित वातावरणीय कारण सामने आते हैं :--

(क) **विद्यालयीय कारण**--प्रवेश छात्र की अनेक आवश्यकताएँ होती हैं। उनकी पूर्ति के लिये विद्यालय में करने का प्रयास करता है। उसे प्राप्त करने के प्रयत्न में साधनहीनता के कारण असफल होने पर वह तनावग्रस्त होता है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी में मधुर सम्बन्धों का अभाव और मनोरंजन साधनों की आपूर्ति का न हो पाना भी छात्र में तनाव उत्पन्न करते हैं।

(ख) **आर्थिक कारण**--आर्थिक विपन्नता भी वर्गों में तनाव उत्पन्न कर देती है। आर्थिक विपन्नता के ही कारण विद्यालय में छात्रों के विभिन्न वर्ग बन जाते हैं, और उनमें परिस्थिति जन्य तनावों को जन्म देते हैं।

(ग) **धार्मिक कारण**--जाति-जन्य सामाजिक विपन्नता के कारण भी तनाव उत्पन्न होता है। धर्म के अधिकतर ज्ञान के कारण विभिन्न धर्मावलम्बी एक साथ नहीं रह सकते और उनमें तनाव हो जाता है। आर्थिक सामाजिक या वैयक्तिक कारणों से कभी कभी एक धर्मावलम्बी दूसरे का विशेष रूप से खण्डन करता है। इस प्रकार विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में तनाव बढ़ता है। हिन्दुओं में जायें समाजियों और मुसलमानों में मुसलमानों में निर्या और मुसलमानों में मुसलमानों में सामान्य धार्मिक तथा प्रोटेस्टेंटों में परस्पर तनाव रहता है।

(घ) **सांस्कृतिक कारण**--राज्य-परिभाषा, परंपराएँ, भाषा, धर्म, आदि, अन्तर्गत संस्कृति के अंग हैं। इनका जन्म एवं पालन-पोषण जिस संस्कृति में

होता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, माया, कार्य करने के ढंग, मूल्य और विश्वास विकसित होने हैं। सांस्कृतिक भिन्नता उन्हें एक दूसरे से दूर रखती है फलतः उनमें तनाव बढ़ने लगता है।

तनाव निवारण के उपाय—

वस्तुतः तनाव का जन्म और विकास लोगों के मस्तिष्क में ही प्रारम्भ होता है, इसलिए तनाव को कम करने के लिए लोगों के मस्तिष्क में ही परिवर्तन लाया होगा। अगिनितियों के परस्पर टकराव में लक्ष्यों तथा प्रविधियों के द्वन्द्व में, यथार्थ तथा विश्वासों के संघर्ष के कारण मानकों तथा आकांक्षाओं के अंतर द्वारा उत्पन्न धार्मिक, सामाजिक, एवं आर्थिक तनाव को छात्रों के मस्तिष्क में शांति के प्रतिरक्षात्मक उपायों का निर्माण करके ही दूर किया जा सकता। तनावों को दूर करने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं—

(१) अन्तर्व्यक्तिक ज्ञान तथा सामयिक

महसूस—व्यक्ति का व्यवहार भूत वर्तमान एवं भविष्य में घटित घटनाओं से प्रभावित होते हुये भी भिन्न-भिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न होता है। अन्य घटकों के परि-प्रेक्ष्य में उसके ज्ञान की परिधि संकुचित होती है और जिनपूवधारणाओं, हृदियुक्तियों का निर्माण उसने अतीत में किया है, वे अपरिवर्तित रह जाते हैं। इस प्रकार जो तनाव अन्य लोगों से अन्तःक्रिया तथा अभि-ग्रहीत मदस्यना के आधार पर कम किया जा सकता था, उसी स्तर पर बना रहता है। अतएव तनाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का ध्यान वर्तमान की घटनाओं तथा अन्य लोगों के व्यव-हारों पर समान रूप से केन्द्रित हो।

(२) उपयुक्त शिक्षा का प्रसार—भारतीय शिक्षा की रूपरेखा इस प्रकार बनानी चाहिये कि विभिन्न वर्गों व क्षेत्रों वाले एक-दूसरे की संस्कृति, बोल-चाल, रहन-सहन और भावनाओं का आदर कर, संकीर्णता के स्थान पर उदार दृष्टिकोण अपना सकें। एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता और सद्भाव उत्पन्न करने वाली

शिक्षा ही तनाव को कम कर सकती है। शिक्षा राष्ट्रीय भावना परक हो तथा शिक्षक शिक्षार्थी अपने परस्पर दृष्टि छोड़ सकें।

(३) आर्थिक सुधार—आर्थिक दृष्टि से गिरे हुए समूहों को और विद्यालय को ध्यान देना चाहिये। उनकी आर्थिक दशा सुधारी चाहिये। उन्हें छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों की व्यवस्था विद्यालय को करनी चाहिये, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये, विभिन्न आर्थिक विषयना दूर हो गये। आर्थिक दशा सुधरने में तनाव कम होगा।

(४) सामाजिक सुधार—विभिन्न समूहों के सामाजिक अन्ध-विश्वासों, सामाजिक दोषों, मूलतः परम्पराओं आदि में सुधार करना आवश्यक है। इससे छात्रों में सामाजिक जागृति पैदा होगी और समझ की वृद्धि होगी। इस प्रकार सामाजिक सुधार छात्रों में तनावों को दूर करने में बहुत कुछ सहायक हो सकते हैं।

(५) धार्मिक सुधार—विभिन्न धर्मों के लोगों को सम्पर्क के अवसर प्रदान करने चाहिये तथा राष्ट्रीय पर्वों में सबको एक साथ उत्सव मनाना चाहिये और इस बात का प्रचार करना चाहिये कि सभी धर्मों के मूलभूत उद्देश्य समान हैं, उनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार छात्रों की धार्मिक भावना में परिवर्तन करके तनावों को दूर किया जा सकता है।

(६) पारस्परिक सम्पर्कों में वृद्धि—विद्यालय में विभिन्न प्रकार के समूहों के तनाव कम करने के लिये पारस्परिक सम्पर्कों में वृद्धि की जानी चाहिये। विशा-लयीय कार्यक्रम धार्मिक व्योहार, सांस्कृतिक अवसर आदि ऐसे साधन हैं, जिनसे पारस्परिक सम्पर्कों में वृद्धि की जा सकती है। उनके बीच की सामाजिक दूरी को कम करना चाहिये।

(७) व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास—व्यक्तित्व के सन्तुलन विगड़ने से मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है और यह संघर्ष एवं तनावों को जन्म देता

है। असन्तुलित व्यक्तित्व वाले लोग तनाव की स्थिति जल्दी उत्पन्न कर देते हैं। इसके विपरीत प्रारम्भ से ही लोगों की शिक्षा इस प्रकार हो कि व्यक्तित्व का सन्तुलित रूप से विकास हो।

(द) सत् साहित्य का सृजन— साहित्य से सम्बन्धित दायित्व लेखकों का है। उनका कर्तव्य है कि वे छात्रों को क्षुद्र भावनाओं से उठाकर उनमें राष्ट्रीय एकात्मता की भावना की वृद्धि करें। साहित्य में बड़ी शक्ति होती है और उसके द्वारा यह कार्य बड़े पैमाने पर हो सकता है।

उपरोक्त तरीकों व दृष्टिकोणों को अपनाने से विशालय में शोधकार्यों की पुनर्रचना होगी, जिससे सामाजिक दूरी एवं तनाव में कमी आयेगी। ऐसा करने से प्रत्येक धर्म को मानवीय स्वरूप प्राप्त होगा, जिसमें मनुष्य धर्म के लिए न होकर, धर्म मनुष्य के लिए होगा। धर्म में वह अपेक्षित लचीलापन आ सकेगा, जिससे कि समय के परिवर्तन के साथ उसमें उचित संशोधन किये जा सकेंगे और सामान्य जन के व्यवहार का उचित मार्गदर्शन हो सकेगा। ●

वर्ष-38, सत्र-1989-90, अंक-35

“साकेत-सुधा” पृष्ठ सं०-37 से 40
का० सु० साकेत महाविद्यालय फैजाबाद

विद्यार्थियों में अन्तर्जातीय तनाव

गीता देवी

शोध छात्र (मनोविज्ञान)

काम्बुमाकिल संस्कृत विश्वविद्यालय
पंजाब

मनुष्यों में सामूहिकता की आवश्यकता होती है, जो उन्हें एक साथ रहने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य में ऐसी अनेक आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्ति एक दूसरे के साथ रहने से ही होती है।

किरी भी समाज में अनेक समूह पाए जाते हैं, जिनका निर्माण वर्ग, धर्म, जाति, निवास, स्थान व्यवस्था, भाषा, सम्प्रदाय के आधार पर होता है। जब तक किसी समाज के विभिन्न समूहों में प्रेम, मैत्री और सहयोग की भावनाएँ होती हैं तब तक वह समाज संगठित इकाई के रूप में उन्नति करता रहता है लेकिन अक्सर दो समूह आपस में वैमनस्य रखने लगते हैं और उनमें सहयोग और प्रेम समाप्त हो जाता है। समूहों के बीच की इस स्थिति को सामूहिक तनाव कहते हैं।

तनाव व्यक्तियों में भी हो सकते हैं और समूहों में भी। जिस तरह परस्पर विरोधी दृष्टिकोण, विचार और गत आदि रखने वाले व्यक्तियों में आपस में तनाव उत्पन्न हो जाता है उसी तरह परस्पर विरोधी आचार-विचार, व्यवहार, आदर्श और तौर-तरीके आदि रखने वाले समूहों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। समूह तनाव दो या अधिक समूहों के बीच

मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न जाति समूहों में एक दूसरे से घृणा, भय और ऊँच-नीच की भावना देखी जाती है। स्थान-स्थान पर बनिये और ब्राह्मण, ब्राह्मण और कायस्थ, ब्राह्मण और अब्राह्मण, ऊँची जातियों और नीची जातियों में परस्पर वैर भाव दिखाई पड़ता है। यह जाति व्यवस्था जातीय तनाव के कारण है।

सामाजिक संरचना में उपक्रम सम्बन्धी विसंगतियों के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। किसी भी समाज में तनाव की मात्रा उस समाज की संरचना की रूढ़िवादिता तथा उसकी शक्ति पर निर्भर करती है। यदि समाज रूढ़िवादी है तो इसके सदस्यों में स्वर्गीय वरीयता, आत्मकेन्द्रितता तथा वर्गकेन्द्रित धारणाएँ अधिक होती हैं। ऐसे समूहों में अन्य समूहों के प्रति निषेधात्मक प्रवृत्तियाँ, घृणा तथा आक्रामक प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है।

हम सभी लोग उत्तेजना की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। आयु वृद्धि के साथ-साथ जटिल उत्तेजनाओं की आकांक्षा में वृद्धि होती है (वरलाइन 1966, वरनान एवं आरम्स एवं मोरे 1966)। उत्तेजना का व्यक्ति के शरीर पर दबावात्मक प्रभाव पड़ता है। उत्तेजना की जटिलता दबाव की मात्रा को बढ़ा देती है उससे व्यक्ति को तनाव की अनुभूति होती है। उच्च स्तरीय कार्य सम्पादन के लिए शरीर में तनाव की निश्चित मात्रा का होना आवश्यक होता है (लिण्डग्रेन 1947)। मनुष्य में बाह्य वातावरण से परे स्वतंत्र रूप से तनाव को उत्पन्न करने तथा उसे बनाए रखने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया पर व्यक्ति की आयु तथा विकास का भी प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक दृष्टि से जब दो समूहों के बीच परस्पर प्रेम की भावना समाप्त हो जाती है और उसका स्थान संदेह, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य आदि ले लेते हैं तो इसे हम सामूहिक तनाव कहते हैं।

अलगाव महसूस करने पर ही तनाव उत्पन्न होता है और यह तनाव समाज को विच्छन्न करके टुकड़ों में बांट देता है।

फोलमैन (1976) ने तनाव को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मनोवैज्ञानिक अर्थों में "दबाव, बेचैनी और चिन्ता की अनुभूति की तनाव है।"

तनाव से संबंधित अनेक अध्ययन भारत तथा पश्चिमी देशों में किये गये हैं जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यहाँ के बच्चों एवं व्यक्तियों में जाति व धर्म संबंधी जानकारी 4-5 वर्ष की अवस्था से प्रारम्भ होकर किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार तनाव से संबंधी अध्ययन सिंह, ए०के० (1981, 1985) ने बच्चों पर अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जाति व धर्म सम्बन्धी जानकारी बच्चों को पूर्व बाल्यावस्था में ही हो जाती है और इनमें अपनी ही जाति के प्रति अधिक झुकाव रहता है। इसी प्रकार के०के०सिंह (1967) ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अन्तर्जातीय तनाव संबंधी अध्ययन उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के व्यक्तियों के मध्य किया है और निष्कर्ष निकाला है कि उच्च वर्ग के व्यक्तियों में निम्न वर्ग के व्यक्तियों के प्रति तनाव रहता है। हसन (1981) ने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के हिन्दुओं पर तनाव संबंधी अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि उच्च वर्ग के हिन्दुओं में निम्न वर्ग के हिन्दुओं के प्रति अनेक प्रकार की रूढ़िधारणायें होती हैं और उनमें तनाव रहता है। ओमेन (1984) ने राजस्थान के 7 गाँवों में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के व्यक्तियों में तनाव संबंधी अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि निम्न वर्ग तथा उच्च वर्ग के व्यक्तियों के प्रति उनमें तनाव विद्यमान है। एस०एन०सिंह (1979) ने तनाव संबंधी अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा, जाति, स्तर, नगरीयकरण, उच्च व निम्न जाति से प्रभावित होती

है। एच०आर० खान (1978, 79) ने तनाव संबंधी अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि धर्म संबंधी जानकारी और पूर्वाग्रह बच्चों में उग्र के साथ-साथ विकसित होते हैं। इस प्रकार तनाव संबंधी अनेक अध्ययन हुए हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि बच्चों में अपनी ही जाति के प्रति अधिक झुकाव होता है और अन्य जातियों के प्रति अनेक प्रकार की रूढ़िधारणायें व पूर्वाग्रह होते हैं जिसके कारण उनमें तनाव रहता है। प्रस्तुत अध्ययन भी तनाव के विविध आयामों का अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया है।

समस्या

अयोध्या क्षेत्र में स्थित विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं में अन्तर्जातीय तनाव का सामाजिक दृष्टि से अध्ययन करना।

विधि

प्रयोज्य-अयोध्या नगर में स्थित जूनियर हाई स्कूल में अध्ययन करने वाले कक्षा 4, 5 के 50 छात्र/छात्राओं का चयन यादृच्छिक रीति से किया गया। उनकी आयु तथा उनका सामाजिक, आर्थिक स्तर लगभग समान था।

प्रक्रिया

अन्तर्जातीय तनाव से सम्बन्धित एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया जिसमें कुल 8 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। प्रयोज्यों से विभिन्न वर्ग उच्च, मध्यम, निम्न की 9 जातियों के विषय में उनकी प्रतिक्रिया ज्ञात की गई

प्रदत्त विश्लेषण

प्रयोज्य/प्रयोज्या से अनुसूची में लिखित प्रश्नों

के विषय में प्रत्येक छात्र/छात्रा से एक-एक करके पूछा गया। उसने जिस जाति के साथ भोजन करना, पढ़ना, खेलना, रहना, पानी पीना, अध्ययन करना, मित्रता करना इत्यादि करना पसन्द किया उसे 'एक' अंक दिया गया। तत्पश्चात् समस्त छात्र/छात्राओं को अंक प्रदान करने के पश्चात् जाति के आधार पर विभाजित करके उनका योग ज्ञात कर

प्रतिशत निकाल लिया गया।

परिणाम

उच्च वर्ग के अन्तर्गत आने वाले कुल छात्र/छात्राएँ 29 हैं, जिनका प्रतिशत विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग निकाला गया है जो तालिका 1 में अंकित है।

तालिका 1
उच्च वर्ग के छात्र/छात्राओं में अन्तर्जातीय
तनाव का प्रतिशत

क्रम सं०	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वनिया	अहीर यादव	गूजर	गडरिया	मेहतर	चमार	नाई, धोबी कुम्हार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	58%	54%	26%	18%	6%	2%	2%	2%	4%
2.	58	52	24	18	10	2	2	2	4
3.	58	56	30	32	10	2	2	2	10
4.	56	52	26	24	8	2	2	2	6
5.	58	54	40	34	22	22	14	20	24
6.	58	54	36	28	20	18	18	18	24
7.	58	56	36	26	12	6	4	4	8
8.						10	22	10	2

(1) भोजन करने के सम्बन्ध में, उच्च वर्ग के बच्चों का प्रतिशत अपने ही जाति के विषय में अधिक है इससे स्पष्ट है कि उनमें निम्न जातियों के प्रति तनाव है। (2) खाना खाने के सम्बन्ध में भी

इसी प्रकार का तनाव है। (3) पानी पीने के सम्बन्ध में और (4) मकान में एक साथ रहने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का तनाव है। (5) खेलने के सम्बन्ध में अपनी ही जाति के विषय में प्रतिशत अधिक है,

लेकिन अन्य जातियों के प्रति कम तनाव है। (6) अध्ययन करने के सम्बन्ध में उच्च वर्ग के बच्चों का प्रतिशत अपने ही जाति में अधिक है लेकिन अन्य जातियों के प्रति तनाव कम है। (7) मिश्रता के सम्बन्ध में अपने ही वर्ग में प्रतिशत अधिक है। अतः

अन्य जाति के विषय में उच्च तनाव है। (8) लड़ाई शरणा के सम्बन्ध में उच्च वर्ग के बच्चों का प्रतिशत निम्न जाति के प्रति अधिक है जिससे स्पष्ट होता है कि उच्च वर्ग के बच्चों में निम्न जाति के बच्चों के प्रति तनाव अधिक है।

तालिका 2

मध्यम वर्ग के छात्र/छात्राओं में अन्तर्जातीय तनाव का प्रतिशत

क्रम सं०	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वर्णिया	अद्वार यादव	गुजर	मालविया	महरत-	बगार	गारै, धार्या कुम्हार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	38	36	22	20					
2.	38	32	22	18					
3.	36	34	28	20	4				
4.	36	32	26	16	4				
5.	40	40	28	20	6	6	6	6	6
6.	38	40	20	22	6	6	6	6	6
7.	34	36	30	16	6	4	4	4	4
8.	2	2	2	4	2	8	22	16	2

मध्यम वर्ग के अन्तर्गत आने वाले छात्र/छात्राएँ 20 हैं जिनका प्रतिशत विभिन्न प्राप्तांकों के लिए अलग-अलग निकाला गया है। प्रश्न सं० 1,2,3,4, के लिए मध्यम वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रतिशत अपनी जाति तथा उच्च वर्ग में अधिक है लेकिन निम्न जाति के प्रति उनमें अत्याधिक तनाव है। प्रश्न 5,6,7 के लिए मध्यम

वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रतिशत अपने वर्ग तथा उच्च वर्ग में अधिक है लेकिन निम्न वर्ग में कम प्रतिशत है, अतः उनमें इनके प्रति कुछ कम तनाव है। प्रश्न सं० 8 के सम्बन्ध में मध्यम वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रतिशत निम्न जाति के प्रति अधिक है। अतः उनमें निम्न जाति के प्रति अत्यधिक तनाव है।

तालिका 3
निम्न वर्ग के छात्र/छात्राओं में अन्तर्जातीय तनाव का प्रतिशत

प्रश्न सं०	ब्राह्मण	क्षत्रिय	जनिया	अमीर	कुषा	पट्टिका	मेहरार	चमार	नाई, घोबी कुम्हार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
3.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
4.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
5.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
6.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
8.	"	"	"	"	"	"	"	"	"

निम्न वर्ग के अन्तर्गत आने वाली छात्रा, जिसका प्रतिशत विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग निकाला गया है, लेकिन उसमें प्रश्न सं० 1,2,3,4,5,6,7 के प्रति कोई तनाव नहीं है, क्योंकि सभी में बराबर प्रतिशत है। प्रश्न संख्या-8 में निम्न वर्ग की छात्रा में उच्च वर्ग के बच्चों के प्रति तनाव है।

विवेचन

उच्च, मध्यम व निम्न जातियों के बच्चों में विभिन्न कार्यों में अन्तर है, जैसे उच्च वर्ग के बच्चे निम्न वर्ग के बच्चों के साथ भोजन करने, खाना-खाने, पानी पीने, एक साथ रहने, खेलने, अध्ययन करने, मित्रता करने, को पसन्द नहीं करते हैं; वे अपनी ही जाति के लोगों के प्रति अधिक

आकृष्ट होते हैं। उनमें निम्न वर्ग के बच्चों के प्रति एक प्रकार का तनाव विद्यमान है। इसी प्रकार मध्यम वर्ग के बच्चे अपने ही वर्ग तथा उच्च वर्ग के साथ भोजन करना, पानी-पीना, एक साथ रहना, खेलना, अध्ययन करना व मित्रता करना पसन्द करते हैं, उनमें भी निम्न वर्ग के बच्चों के प्रति एक प्रकार का तनाव है। लेकिन निम्न वर्ग के बच्चे उच्च व मध्यम वर्ग के बच्चों के साथ उपर्युक्त समस्त कार्य करना पसन्द करते हैं उनमें उच्च व मध्यम वर्ग के बच्चों के प्रति किसी प्रकार का तनाव नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च, मध्यम व निम्न वर्ग के बच्चों में विभिन्न कार्यों में अन्तर है।

इस प्रकार तनाव से सम्बन्धित जो भी अध्ययन हुए हैं उनमें इस अध्यायन का परिणाम मिलता-जुलता है। इस परिणाम से निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न सामाजिक कार्यों, जैसे

भोजन करना, पानी पीना, अध्ययन करना, खेलना, मित्रता करना इत्यादि में प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों में तनाव की भावना जागृत हो जाती है और वयस्कावस्था/ किशोरावस्था आने तक वह पूर्ण रूप से दृढ़ या परिपक्व हो जाती है।

अनेक सामाजिक संस्थाओं व सरकारी उपक्रमों के द्वारा इस तनाव को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु यह तनाव कम न होकर दिन-प्रतिदिन

बढ़ता जा रहा है जिससे अनेक सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। इससे न केवल सामाजिक परिवर्तन ही हो रहे हैं बल्कि अनेक प्रकार की सामाजिक विकृतियाँ व समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जो समाज को चिच्छिन्न करके अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दे रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह सामाजिक तनाव समाज का एक विघटनकारी तत्व है।


सन्दर्भ

1. सिंह ए०के० 1981 भारतीय बच्चों में धार्मिक एकरूपता तथा पूर्वाग्रह का विकास। डी० सिन्हा संस्करण में भारतीय बच्चों में सामाजिक रचना, पृष्ठ 87-100, नई दिल्ली
2. सिंह ए०के० 1985 भारत में धार्मिकता तथा राष्ट्रीय एकता का विकास। अध्यक्ष सम्बन्धी पता-सेक्सन आफ साइकालोजी एण्ड एजुकेशनल साइन्सेज। बहत्तरवीं भारतीय विज्ञान सभा परिषद लखनऊ।
3. सिंह, के०के० 1967, जातीय तनाव का प्रारूप, अन्तर्जातीय तनाव और अन्तर्द्वन्द का अध्ययन, बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाऊस।
4. हमन ए०के० 1981 भारतीय युवाओं में पूर्वाग्रह, नई दिल्ली, क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी।
5. ओमन टी०के० 1984 प्राचीन भारत में सामाजिक परिवर्तन, नई दिल्ली, विकास।
6. सिंह ए०एन० 1979 आधुनिक रूप में औद्योगीकरण, नई दिल्ली, क्लासिकल पब्लिकेशन्स।
7. खान, एच०आर० 1978, बच्चों में धार्मिक एकरूपता तथा पूर्वाग्रह का विकास, अप्रकाशित औपचारिक वार्तालाप, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।
8. खान, एच०आर० 1979 बच्चों में धार्मिक पूर्वाग्रह के विकास का अध्ययन। ए०एन० सिंह और एच०आर० खान संस्करण में भारतीय समाज में पूर्वाग्रह, पृष्ठ 116-133, वाराणसी, रूपा मनोवैज्ञानिक केंद्र।

वर्ष-अष्टम, अंक-प्रथम जुलाई 1990
 "भारतीय आधुनिक शिक्षा"
 एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
 में प्रकाशित, पृष्ठ सं० 35 से 49

CERTIFICATE

Certified that Shri/Smt./M. Ganta Rao
attended and presented a paper at the Writers' Workshop from
04-09-1991 to 07-09-1991 organised by the N.C.E.R.T at
Education Department of the Gorakhpur University. His/her
absence for the period of workshop plus journey days may
be treated as on duty.


(DR. D.N. KHOSLA)
Academic Editor
N.C.E.R.T.

Rao Ganta Rao
Research Scholar, (Psychology)
K.S.P.G. College,
Fazalpur, U.P.

• स्त्री शिक्षा की समस्याएँ तथा उसका निवारण •

(लेखक गोष्ठी हेतु - दि० 4-9-91 से 7-9-91)
गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर

स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूर्व प्राचीन दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश विवेचनों में शिक्षा का अत्यन्त व्यापक रूप देखने को मिलता है। यह सामान्य अनुभव की बात है कि निरक्षर स्त्रियाँ घरेलू काम-काज, गृह-सज्जा, गाना-बजाना, पूजा-पाठ से इतनी परिचित देखने में आती हैं कि सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रवाह में इनका कम योगदान नहीं है। यह शिक्षा के अनौपचारिक पक्ष हैं। स्त्री की इस दक्षता को शिक्षा का द्योतक मानकर यदि कोई विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो उससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। अतः यह देखना होगा कि तात्कालिक समाज में शिक्षित होने के मानदण्डों के अनुरूप स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में किस सीमा तक औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करायी जाती थी।

वैदिक काल --

यद्यपि वैदिक काल में नारी शिक्षा समुन्नत थी। स्त्रियाँ न केवल वैदिक साहित्य का अध्ययन करती थीं, अपितु मैत्री, गार्गी, घोषा इत्यादि ने वैदिक संहिताओं की रचना भी की। लेकिन स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था ब्राह्मण वर्ग तक ही सीमित थी। भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री को गणितज्ञ ही बनाया। वैदिक साहित्य में अपाला का रक्षा ही उदाहरण है। श्वेत कुंठ के कारण प्रारम्भ से उनके पिता ने उसको वेद-वेदज्ञ बनाया, और कुंठ दूर करने के लिए अपाला द्वारा इन्द्र की प्रार्थना में मंत्रों की रचना की गई।

महाकाव्य काल --

महाकाव्य काल के आते-आते कुलीन जातियों में स्त्रियों का सामाजिक जीवन अत्यन्त संकुचित हो चुका था। इस काल में कुन्ती, गांधारी, सुभद्रा, सत्यवती, द्रौपदी, उत्तरा आदि की शिक्षा के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन यह पता चलता है कि सामान्यतया स्त्रियाँ घर पर ही

व्यवस्थित या अव्यवस्थिति रूप से शिक्षा प्राप्त करती थीं। उत्तरा को अर्जुन ने बृहन्तला के रूप में शिक्षा अवश्य दी थी, किन्तु वह तो नृत्य संगीत की शिक्षा थी। द्रौपदी को नीतिज्ञा कहा गया, उनकी भी अपने भाइयों के साथ घर पर प्रारम्भिक शिक्षा हुई होगी। सीता स्त्रियों के लिए आदर्श हैं किन्तु सीता की उच्च कोटि की शिक्षा के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

बौद्ध काल --

बौद्ध धर्म का अपेक्षाकृत खुले तथा समभागी वातावरण में स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोण था। भिक्षु संघों की भाँति भिक्षुणी संघ की परम्परा विकसित हुई। बुद्ध घोष ने अंगुत्तर निकाय की टीका में कुछ स्त्रियों को बुद्ध की प्रमुख शिष्याओं के रूप में उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ "चेरी §स्थविरा§ का पद प्राप्त कर सकीं। सोमा, अनुपमा, खेमा, सुजाता आदि अनेक चेरियों के नाम उल्लेखनीय हैं।

उत्तर बौद्ध काल --

दशरूपक में पात्रों को तीन श्रेणियों - उत्तम, मध्यम, अधम, में विभक्त किया गया। स्त्रियाँ मध्यम श्रेणी में रखी गयी। इस काल में स्त्री-शिक्षा के बारे में घोर उदासीनता थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में देश्याओं अभिनेत्रियों आदि को शिक्षित करने के लिए राज्य की ओर से व्यय का विधान मिलता है, किन्तु शिक्षाशालाओं में नहीं, वरन् कोठों में मिलती होगी।

यह सत्य है कि स्त्रियों के कवियत्री, काव्यशास्त्र मर्मज्ञ, गणितज्ञ आदि होने के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन शिक्षित नारियों के उदाहरण §विज्जिका, भारती गंगादेवी आदि§ दक्षिण भारत से ही उभर कर आते हैं। पणिक्कर का कथन है कि उत्तर भारत में कुलीन स्त्रियों का राजनैतिक उथल-पुथल और असुरक्षा के कारण घर की चार दीवारी में बंध जाने से वहाँ की स्त्री-शिक्षा को विशेष क्षति पहुँची है। अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत में स्त्री शिक्षा के अस्तित्व का प्रधान कारण सामाजिक रूढ़ियाँ तथा असुरक्षा की स्थिति थी, जो धीरे-धीरे बाल विवाह और परदा के कुप्रभाव से ग्रस्त होती गई।

भारत में मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो जाने पर हिन्दू व मुसलमान दोनों में पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया तथा हिन्दुओं में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित हो गयी । केवल राजधरानों व धनी लोगों के घर पर ही व्यक्तिगत रूप से स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी । इसलिए रजिया बेगम, गुलबदन, नूरजहाँ, जहाँआरा, मुक्ताबाई, अहिल्याबाई आदि कम ही विदुषी महिलायें इस युग में थीं ।

स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता —

मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास घरों के सुधार तथा शोषा-वस्था के प्रभावी वर्षों के दौरान चरित्र को ढालने के लिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्री शिक्षा का अधिक महत्व है । किसी भी देश की प्रगति में वहाँ की स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है । स्त्री ही ऐसे बालक के निर्माण में सक्षम होती है, जो देश की प्रगति करने में अग्रसर होते हैं । शिक्षित नारी ही परिवार व समाज को सुसंस्कृत करने में समर्थ होती है । मनु ने इसी कारण कहा है --

“ यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवताः । ”

स्त्री-शिक्षा के प्रसार से बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ दूर हो सकती हैं । आज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, अतः स्त्रियों को रोजगारो-न्मुखी शिक्षणा देकर इस अभाव की पूर्ति की जा सकती है । इसके लिए वह अपने निजी व्यवसायों को अपना रही है और समाज के विकास के लिए हर क्षेत्र में पुरुष के साथ बराबर सहयोग करके अपना उत्तरदायित्व निभा रही है । इस प्रकार इन सब कारणों से स्त्री शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा रही है । इसके लिए सरकार की ओर से भी प्रयास किये जा रहे हैं - वह है प्रौढ़-शिक्षा की व्यवस्था ।

विकासशील देशों में, जहाँ लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्हें कभी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला । इस कमी को पूरा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बनाये गये ताकि ये लोग अपने को समृद्ध कर सकें, अपनी व्यावसायिक कुशलता में आगे बढ़ सकें और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें । अतएव प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में नारी साक्षरता पर विशेष बल दिया गया है । शिक्षा के द्वारा उनमें आत्म-विश्वास

तथा आत्म निर्भरता आयेगी, जिसे वे अपने विकास के साथ परिवार के दायित्वों को संभाल पायेंगी ।

सरकार के इन प्रयासों के अलावा परिवार की तरफ से स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रयास किये गये हैं । आज प्रत्येक वर्ग बालिकाओं को पढ़ाने के लिए उचित व्यवस्था हेतु प्रयत्नशील है और वे अपनी बालिकाओं को पढ़ाना एक प्रतिष्ठा मानते हैं ।

इस प्रकार स्त्री शिक्षा की उक्त आवश्यकताओं को देखते हुए यद्यपि सरकार व परिवार की तरफ से स्त्री-शिक्षा के जो प्रयास किये जा रहे हैं, उनमें अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण यह शिक्षा अत्यन्त मन्द गति से बढ़ रही है । इस प्रकार स्त्री-शिक्षा के विकास में आने वाली प्रमुख समस्याएँ प्रस्तुत हैं —

§1§ परिवार की विचार प्रणाली —

आधुनिक युग विज्ञान का युग है, फिर भी लोग प्राचीन विचारों व विश्वासों का पोषण व समर्थन करते हैं । अनेक माता-पिता, विशेष तौर पर गाँवों में स्त्री शिक्षा की उपयोगिता ठीक प्रकार से नहीं आंक पाते हैं । वे समझते हैं कि स्त्री-शिक्षा का सम्बन्ध व्यावसायिक या राजनीतिक लाभ से है । कुछ परिवारों में अभी-भी पर्दा प्रथा को आवश्यक मानते हैं, वे पर्दा हटाने में कुल की मान-हानि समझते हैं । इसलिए वे अधिक आयु में बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं । रूढ़िवादी परम्परा के अनुसार कुछ परिवारों के लोग लड़कियों का निवास घर में ही मानते हैं । उन्हें थोड़ा अक्षर ज्ञान देना ही काफी है, क्योंकि अधिक पढ़ाने-लिखाने से घरेलू काम में परेशानी होगी तथा उन्हें दबाकर अर्थात् उनके विचारों व इच्छाओं का हनन कर नहीं रखा जा सकता है, इसलिए वे स्त्री शिक्षा के घोर विरोधी हैं । इस प्रकार स्त्री शिक्षा के प्रति विभिन्न परिवारों के भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार हैं, जिसके कारण स्त्री-शिक्षा के प्रचार-प्रसार में बड़ी समस्याएँ पैदा हो रही हैं ।

§2§ आर्थिक विपन्नता व साधन की कमी —

भारत एक गरीब देश है और यहाँ की जनता की आर्थिक स्थिति शोचनीय ही नहीं वरन् संकट से परिपूर्ण है । अधिकांश ग्रामीण

क्षेत्र अविकसित दशा में हैं। ऐसे भी स्थान हैं, जहाँ पर जीवन की दैनिक सामग्री भी नहीं मिल पाती है। इन दशाओं में विद्यालय की स्थापना का विचार केवल स्वप्नवत् रह जाता है। माता-पिता जब बालकों को पढ़ाने के लिए धन नहीं जुटा पाते हैं तो बालिकाओं को पढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार आर्थिक विपन्नता के कारण और ग्रामीण क्षेत्रों की अविकसित दशा के कारण स्त्री शिक्षा सुलभ नहीं है, बल्कि अति दुर्गम कारी है।

§3§ विद्यालयों की कमी —

स्त्री शिक्षा की एक प्रमुख समस्या बालिका विद्यालयों का अभाव है। बालकों के विद्यालयों से लड़कियों की पाठशालाएँ बहुत ही कम हैं। बालिका विद्यालय केवल नगरों तक ही सीमित हैं। ग्रामों में तो इनका अत्यन्त अभाव है और जो विद्यालय हैं भी वह इतनी दूर-दूर हैं कि वहाँ तक जाने के लिए कोई उचित साधन नहीं है। जिसके कारण बालिकायें शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। इसके साथ ही कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ सहशिक्षा की व्यवस्था है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी बालिकाओं को पढ़ाना उचित नहीं मानते हैं। जो लोग बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा देना भी चाहते हैं उन्हें सुविधा के अभाव में उनकी शिक्षा बन्द कर देनी पड़ती है।

§4§ विद्यालयों का परिवेश —

परिवेश की दृष्टि से स्त्री शिक्षा में कई बाधाएँ हैं। आज विद्यालयों का वातावरण इस प्रकार का हो गया है कि जो अध्यापक विद्यालयों में नियुक्त किये जाते हैं वे समय से पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे द्यूशन पर अधिक जोर देते हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से जो शिक्षक अभिभावक संघ की घोषणा की गई है, उसके आधार पर यह लोग पैसा कमाते हैं, और जिस कारण से इसकी घोषणा की गई है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सरकारी स्कूलों में तो यह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसका प्रमाण तो नगरपालिका, जिला परिषद व राजकीय कन्या विद्यालयों से लिया जा सकता है

समाधान :--
 जजजज जजजज

§1§ परिवार की विचार प्रणाली में परिवर्तन —

परिवार व समाज की विचार प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए स्त्री शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए सरकार की तरफ से प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गयी है और वह साक्षरता तक विशेष रूप से सीमित है। इसके लिए सर्वप्रथम महिलाओं में पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना आवश्यक है जिससे वे अपना दृष्टिकोण बदलें। पहले वह स्वयं को बदलेंगी और फिर परिवार को बदलने जाएगी, तभी उनमें सामाजिक चेतना जागृत होगी। प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा उनमें राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक मूल्यों की तथा उपयोगी कला, कौशल को सीखने की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। भारतीयों की रुढ़िवादिता में अमूल्य परिवर्तन करने के लिए व्याख्यान, प्रदर्शनियों व सामाजिक समारोहों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्त्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार की दृढ़ता से मांग की जानी चाहिए। माता-पिता को इस बात की शिक्षा देनी चाहिए कि स्त्री-शिक्षा का लक्ष्य केवल नौकरी या राजनीतिक पद प्राप्त करना या घरेलू कामों से छुटकारा पाना ही नहीं, बल्कि शिक्षा द्वारा उनका तथा समस्त परिवार का समुचित विकास होगा।

सरकार की ओर से प्रौढ़ों के लिए जो प्रौढ़-शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उसे ठीक प्रकार से संचालित नहीं किया जा रहा है। इसके लिए जितना भी कार्य किया जा रहा है, वह अधिकतर तैदान्तिक ही हो रहे हैं, उनका - व्यवहारिक रूप प्रयोग में कम लाया जा रहा है। सरकार की तरफ से किट मिलती है, वह पड़ी रहती है। अधिकतर फर्जर आँकड़े ही भर दिये जाते हैं। इसमें सुधार के लिए आवश्यक है कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थायी स्थापना गाँवों में की जाए तथा निरीक्षक नियुक्त किया जाए। जो इस बात की जानकारी रखता रहे कि कितनी महिलाओं को और किस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया है। तभी उनकी गणना साक्षर महिलाओं में की जानी चाहिए।

मैंने जनपद फैजाबाद के अनेक गाँवों तथा शहरी क्षेत्रों का भ्रमण किया। वहाँ निवासियों से सम्पर्क करने पर जानकारी मिली कि प्रौढ़ शिक्षा सामग्री उन्हें उपलब्ध नहीं करायी जाती है। फर्जर आँकड़े भरकर सरकार को प्रगति दिखायी जाती है तथा धन की चोरी करके जेब भरी जाती है। पोस्टरों व दीवारों पर लिखकर साक्षरता का प्रचार किया जाता है, किन्तु वास्तविकता

से दूर रखा जाता है । ऐसी रू शोचनीय स्थिति में आवश्यक है कि रुचि लेने वाले और नैतिक स्तर से पुष्ट पर्यवेक्षक/निरीक्षक/शिक्षक आदि चुनकर कार्य में लगाये जायें । जब तक इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से नहीं चलाया जायगा, तब तक लोगों के विचारों में परिवर्तन करना कठिन कार्य है ।

॥2॥ आर्थिक विपन्नता व साधन की कमी को दूर करने का प्रयास —

यदि हमारी सरकार स्वयं जनता के उत्थान पर अधिक ध्यान दे तो स्त्री-शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । वह अपने विकास कार्यक्रम में नारी-शिक्षा को प्रमुख स्थान प्रदान करे तथा अधिकाधिक धन व्यय करने का दृढ़ निश्चय करे और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ साधनों की कमी है, दैनिक सामग्री भी नहीं मिल पाती है, वहाँ पर इसकी उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए । गरीब माता-पिता की बालिकाओं को पाठ्यपुस्तक, कापी, स्लेट, आदि मुफ्त दिये जाने चाहिए । साथ ही उन्हें रचनात्मक कार्य जैसे - सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चटाई, लिफाफे आदि बनाने के तरीके आदि सिखाने चाहिए, जिससे खाली समय का सदुपयोग रचनात्मक व सृजनात्मक कार्य में करके वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती हैं ।

॥3॥ विद्यालयों की कमी दूर करने का प्रयास --

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों की कमी स्त्री-शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है । इसके समाधान के लिए प्रशासन द्वारा बालिका विद्यालयों की अधिक संख्या में स्थापना की जानी चाहिए । इस कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए । यदि सरकारी स्कूलों का खोलना संभव न हो तो गैर सरकारी प्रयत्नों को सरकार की ओर से पूरा प्रोत्साहन व पूरी सहायता मिलनी चाहिए । इसके लिए व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की जाए और उन्हें मान्यता प्रदान की जाए । विद्यालयों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री-शिक्षा मन्द गति से बढ़ रही है, क्योंकि जो विद्यालय गाँवों में हैं, वह इतनी दूर हैं कि आने-जाने के लिए उपयुक्त साधन नहीं हैं । अतः यातायात के साधनों की भी उपयुक्त व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए तथा किराये में भी छात्राओं को छूट विशेष रूप में देनी चाहिए ।

विद्यालयों के परिवेश में परिवर्तन करने के लिए सरकार व समाज दोनों ओर से प्रयास की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं, उनकी व्यक्तिगत रूप से प्रगति बनायी जानी चाहिए। साथ ही शिक्षा से सम्बन्धित समस्त ज्ञान छात्रों को स्कूलों में ही प्रबल प्रदान करना चाहिए। छात्रों की प्रगति के आधार पर शिक्षकों को पारितोषिक देना चाहिए। स्कूलों में जो अभिभावक-शिक्षक संघ की स्थापना की गई है, उसमें अभिभावकों को अवश्य भाग लेना चाहिए। स्कूल तथा घर दोनों का बालक की शिक्षा में प्रमुख हाथ है। उनका निर्माण करना दोनों का ध्येय है और इस कार्य को कैसे सम्पन्न किया जाए, दोनों इस विषय पर विचार-विनिमय इस संघ के माध्यम से कर सकते हैं। यह शिक्षक-अभिभावक सहयोग तभी सफल हो सकता है, जब दोनों अपने-अपने कर्तव्य समझें और दोनों को अपने कार्य में सुरुचि हो। शिक्षक व अभिभावकों के मिलन का उद्देश्य केवल बालकों के विषय में विचार-विनिमय न होकर स्कूल के समस्त कार्य के सम्बन्ध में विचार करना भी होना चाहिए। जैसे - स्कूल की कार्यवाही के विषय में विचार करना, स्कूल की उन्नति के विषय में विचार करना आदि। इसके अतिरिक्त कक्षाओं में छात्रों का समुचित दबाव तथा अध्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा समय का अनुपालन आदि अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराना चाहिये। नगरपालिका व जिला परिषदों के स्कूलों का भ्रमण मैंने इस उद्देश्य से किया कि प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था का सही ढंग से आंकलन किया जा सके। वहाँ की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। भवन की अव्यवस्था, अध्यापक/अध्यापिकाओं का समय से विद्यालय न आना तथा फर्जी उपस्थिति दिखाना और अध्ययन में रुचि न लेकर अपने व्यक्तिगत कार्य करते रहना आदि गम्भीर अनियमिततायें हैं। शिक्षित तथा उच्च वर्ग यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार समय व धन का दुस्प्रयोग होता रहता है। अतएव इस दिशा में अधिकारियों/विद्यालय व्यवस्थापकों को कड़ी निगरानी रखकर अध्ययन की प्रगति कर कुछ अंतराल से मल्यांकन करना चाहिए तथा गुणवत्ता के आधार पर प्रोन्नति/अवनति/पारितोषिक देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों की व्यवसायिक वृत्ति अर्थात् द्यूशन पर प्रतिबन्ध होना चाहिए । तभी विद्यालय के परिवेश में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है ।

उपसंहार —

आज भारत की जनसंख्या 84,39,30,861 हो गई है । जिसमें 43,75,97,929 पुरुष है और 40,63,32,932 महिलाएँ हैं । कुल साक्षरता प्रतिशत 52.11 है, जबकि पुरुषों में साक्षरता 63.8 प्रतिशत और महिलाओं में 39.4 प्रतिशत है ।

यह स्त्री साक्षरता प्रतिशत विभिन्न वर्षों - 1951, 1961, 1971, व 1981 में क्रमशः 7.9 प्रतिशत, 12.9 प्रतिशत, 18.6 प्रतिशत, व 24.8 प्रतिशत था । इस समस्त आंकड़ों से स्त्री शिक्षा की प्रगति का अनुमान अवश्य मिलता है । पर इसकी वास्तविक प्रगति तभी सम्भव होगी जब वहाँ की उल्लिखित समस्याओं का प्रभावी तौर पर समाधान किया जा सकेगा । समस्याओं का समाधान तभी होगा, जब सं. सरकार, समाज व राष्ट्र तेजी से प्रयास करेंगे । तभी स्त्री पुरुषों के समकक्ष स्थान प्राप्त कर सकेगी और समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, § रुढ़िवादिता, पर्दा-प्रथा, बाल-निववाह इत्यादि समाप्त हो सकेंगी ।

डा. द्वारिका नाथ खोसला
सम्पादक (अकादमिक)
एन. सी. ई. आर. टी.
नई दिल्ली - 110016

§ कु० गीता देवी §

शोध छात्रा § मनोविज्ञान §

का०सु०साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
फैजाबाद §3090§